

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक— 1327 /हाथरस/ 15288/2015, दिनांक, लखनऊ, दिसम्बर २२, 2016
सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन अनुभाग—2,
लखनऊ।

विषय : हाथरस में पीलीभीत—भरतपुर मार्ग (एस0एच0—33) किमी0 219 से 220 के मध्य बार्यों पटरी पर ग्राम—हाथरस देहात के खसरा सं0—176 में एस्सार ऑयल लिंग द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.02775 हेक्टर संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक—8बी/यूपी/06/40/2016/एफसी/78, दि0 13.05.2016,
उ0प्र0शासन का पत्रांक—भा0स0—104/14—2—2016—800(36)/2016, दिनांक 27.05.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रकरण भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा इंगित त्रुटियों के निराकरण हेतु शासन के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव की मूल प्रतियों इस कार्यालय को वापस प्राप्त हुयी थीं। इंगित सूचनाओं को पूर्ण करने की कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालय व प्रयोक्ता एजेंसी के स्तर से अपेक्षित थी।

उक्त के कम में वन संरक्षक, अलीगढ़ के पत्रांक—840/14—1, दिनांक 27.09.2016 एवं पत्रांक—1239/14—1, दि0 15.11.16 द्वारा इंगित त्रुटियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। अतः उक्त पत्रों की छायाप्रति सहित संशोधित प्रस्ताव की दो प्रतियों एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मूल प्रति भारत सरकार प्रेषित करते हुए प्रकरण में स्वीकृति निर्गत कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक—प्रस्ताव की दो प्रतियों।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक— 1327 / उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1— वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
- 2— प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।
- 3— डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लिंग, ए-5, से0-3, नोएडा।

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।